राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
वाद संख्या–41/2025
नितीश कुमार बनाम् अनुसुईया देवी।

13.04.2026 इस वाद की सुनवाई **दिनांक–02.04.2026** को हुई, जिसमें वादी श्री नितीश कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम उपस्थित। प्रतिवादी अनुसुईया देवी के विद्वान अधिवक्ता कृष्ण कांत तिवारी उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्रीमती निकीता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् उदाकिशुनगंज, मधेपुरा उपस्थित।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध तीन कारणों से वाद दायर किया गया है। प्रथम कारण यह है कि उनके द्वारा अपने वैधानिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति बैठकें निर्धारित समय पर निर्धारित संख्या में नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा Subject Committee का गठन नहीं किया गया है, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–32 का उल्लंघन है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा बोर्ड की सामान्य बैठक में लिये गये निर्णय को **स्वयं ही बदल दिया गया है, जबकि बोर्ड में लिये गये निर्णय को बोर्ड की बैठक में ही परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार लाभ हेतु अपने पद का दुरूपयोग किया गया है।**

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के स्तर से किसी प्रकार कि अनियमितता नहीं बरती गई, बल्कि सभी अनियमितताएं एवं Interpolation कार्यपालक पदाधिकारी से किया गया है।

आयोग द्वारा जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराये गये, प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, तो यह पाया गया कि जाँच पदाधिकारी द्वारा आयोग के आदेश दिनांक–29.06.2026 का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि आज की सुनवाई में उपस्थित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उदाकिशुनगंज, नगर परिषद् के मूल अभिलेखों का अवलोकन कराया गया, **जिसमें सामान्य बोर्ड की बैठक संख्या–12, दिनांक–11.01.2024 के कार्यवाही प्रतिवेदन में Interpolation पाया गया, जिसे उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् उदाकिशुनगंज एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा सत्यापित किया गया, परन्तु जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में उक्त तथ्यों को समाहित नहीं किया गया।** उक्त कारणों से जाँचदल द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है। जाँचदल में शामिल अंचलाधिकारी, उदाकिशुनगंज, सहायक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी, अदाकिशुनगंज एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी, नगरपालिका–सह–जिला सामान्य शाखा, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के विरूद्ध आयोग के आदेशों के अवहेलना एवं पदीय दायित्व के निर्वहन में उदासीनता के प्रमाणित आरोपों के तहत **प्रपत्र–'क'** गठित

करते हुए, उनके पैतृक विभाग को प्रेषित की जाए तथा इसकी सूचना आयोग कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब दायर किया गया। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं को अद्यतन जिला प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति तथा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी।

तदनुसार सुनवाई की अगली **तिथि–28.04.2026 को अपराह्न 03:30 बजे** निर्धारित की जाती है। सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

(डॉ0 दीपक प्रसाद)
13.04.2026

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
वाद संख्या–41/2025
नितीश कुमार बनाम् अनुसुईया देवी।

13.04.2026 इस वाद की सुनवाई **दिनांक–02.04.2026** को हुई, जिसमें वादी श्री नितीश कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम उपस्थित। प्रतिवादी अनुसुईया देवी के विद्वान अधिवक्ता कृष्ण कांत तिवारी उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्रीमती निकीता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् उदाकिशुनगंज, मधेपुरा उपस्थित।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध तीन कारणों से वाद दायर किया गया है। प्रथम कारण यह है कि उनके द्वारा अपने वैधानिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति बैठकें निर्धारित समय पर निर्धारित संख्या में नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा Subject Committee का गठन नहीं किया गया है, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–32 का उल्लंघन है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा बोर्ड की सामान्य बैठक में लिये गये निर्णय को **स्वयं ही बदल दिया गया है, जबकि बोर्ड में लिये गये निर्णय को बोर्ड की बैठक में ही परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार लाभ हेतु अपने पद का दुरूपयोग किया गया है।**

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के स्तर से किसी प्रकार कि अनियमितता नहीं बरती गई, बल्कि सभी अनियमितताएं एवं Interpolation कार्यपालक पदाधिकारी से किया गया है।

आयोग द्वारा जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराये गये, प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, तो यह पाया गया कि जाँच पदाधिकारी द्वारा आयोग के आदेश दिनांक–29.06.2026 का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि आज की सुनवाई में उपस्थित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उदाकिशुनगंज, नगर परिषद् के मूल अभिलेखों का अवलोकन कराया गया, **जिसमें सामान्य बोर्ड की बैठक संख्या–12, दिनांक–11.01.2024 के कार्यवाही प्रतिवेदन में** Interpolation **पाया गया, जिसे उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् उदाकिशुनगंज एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा सत्यापित किया गया, परन्तु जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में उक्त तथ्यों को समाहित नहीं किया गया।** उक्त कारणों से जाँचदल द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है। जाँचदल में शामिल अंचलाधिकारी, उदाकिशुनगंज, सहायक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी, अदाकिशुनगंज एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी, नगरपालिका–सह–जिला सामान्य शाखा, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के विरूद्ध आयोग के आदेशों के अवहेलना एवं पदीय दायित्व के निर्वहन में उदासीनता के प्रमाणित आरोपों के तहत **प्रपत्र–'क'** गठित

करते हुए, उनके पैतृक विभाग को प्रेषित की जाए तथा इसकी सूचना आयोग कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब दायर किया गया। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं को अद्यतन जिला प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति तथा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी।

तदनुसार सुनवाई की अगली **तिथि–28.04.2026 को अपराह्न 03:30 बजे** निर्धारित की जाती है। सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
13.04.2026

ज्ञापांक–41/2025 1512 **पटना, दिनांक–**13.4.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **मधेपुरा**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मधेपुरा** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव 13/4/26

ज्ञापांक–41/2025 1512 **पटना, दिनांक–**13.4.26

प्रतिलिपि–श्रीमती प्रीति कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव 13/4/26

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
वाद संख्या–41/2025
नितीश कुमार बनाम् अनुसुईया देवी।

13.04.2026 इस वाद की सुनवाई **दिनांक–02.04.2026** को हुई, जिसमें वादी श्री नितीश कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम उपस्थित। प्रतिवादी अनुसुईया देवी के विद्वान अधिवक्ता कृष्ण कांत तिवारी उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्रीमती निकीता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् उदाकिशुनगंज, मधेपुरा उपस्थित।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध तीन कारणों से वाद दायर किया गया है। प्रथम कारण यह है कि उनके द्वारा अपने वैधानिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति बैठकें निर्धारित समय पर निर्धारित संख्या में नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा Subject Committee का गठन नहीं किया गया है, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–32 का उल्लंघन है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा बोर्ड की सामान्य बैठक में लिये गये निर्णय को **स्वयं ही बदल दिया गया है, जबकि बोर्ड में लिये गये निर्णय को बोर्ड की बैठक में ही परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार लाभ हेतु अपने पद का दुरूपयोग किया गया है।**

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के स्तर से किसी प्रकार कि अनियमितता नहीं बरती गई, बल्कि सभी अनियमितताएं एवं Interpolation कार्यपालक पदाधिकारी से किया गया है।

आयोग द्वारा जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराये गये, प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, तो यह पाया गया कि जाँच पदाधिकारी द्वारा आयोग के आदेश दिनांक–29.06.2026 का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि आज की सुनवाई में उपस्थित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उदाकिशुनगंज, नगर परिषद् के मूल अभिलेखों का अवलोकन कराया गया, **जिसमें सामान्य बोर्ड की बैठक संख्या–12, दिनांक–11.01.2024 के कार्यवाही प्रतिवेदन में Interpolation पाया गया, जिसे उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् उदाकिशुनगंज एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा सत्यापित किया गया, परन्तु जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में उक्त तथ्यों को समाहित नहीं किया गया।** उक्त कारणों से जाँचदल द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है। जाँचदल में शामिल अंचलाधिकारी, उदाकिशुनगंज, सहायक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी, अदाकिशुनगंज एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी, नगरपालिका–सह–जिला सामान्य शाखा, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के विरूद्ध आयोग के आदेशों के अवहेलना एवं पदीय दायित्व के निर्वहन में उदासीनता के प्रमाणित आरोपों के तहत **प्रपत्र–'क'** गठित

करते हुए, उनके पैतृक विभाग को प्रेषित की जाए तथा इसकी सूचना आयोग कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाए।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब दायर किया गया। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं को अद्यतन जिला प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति तथा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी।

तदनुसार सुनवाई की अगली **तिथि–28.04.2026 को अपराह्न 03:30 बजे** निर्धारित की जाती है। सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
13.04.2026

ज्ञापांक–41/2025 1512 **पटना, दिनांक–** 13.4.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **मधेपुरा**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मधेपुरा** सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/4/26
अपर सचिव